


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सुण्डाराम गुर्जर बनाम बाबूलाल 39/15 (आरसीएमएस नं. 2015/00077)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26.03.19	<p>पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर जयपुर के पत्रांक 8393 दिनांक 10.09.2012 की अनुपालना में ई.डी.एम. टीम द्वारा दिनांक 08.01.2015 को किये गये सीमाज्ञान के विरुद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है जबकि उक्त मौका रिपोर्ट एवं सीमाज्ञान दिनांक 08.01.2015 के विरुद्ध अपील की सुनवाई के अधिकार न्यायालय हाजा को कानूनन प्रदत्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील को उक्त सीमाज्ञान आदेश के विरुद्ध समक्ष न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता का अवसर देते हुए अपील अपीलान्ट न्यायालय हाजा के समक्ष पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जम्मा दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (के.सी.वर्मा) संभागीय आयुक्त, जयपुर </p>	